राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10394/2011

नाथू लाल जारोली पुत्र कन्हिया लाल जारोली, निवासी मोरवन, पुलिस थाना भादसोड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, कार्मिक विभाग (का-3/शिखा), सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, संभाग-I, चित्तौड़गढ़।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री हरीश पुरोहित
श्री शशांक शर्मा

प्रतिवादीगण के लिए : सुश्री नीलम शर्मा, एजीसी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

03/01/2025

1. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2011 (अनुलग्नक-1) को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के निलंबन की अवधि अर्थात 07.11.2002 से 11.08.2009 तक के वेतन के बकाये को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही (जिसके कारण उसे निलंबित किया गया) में संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था।

2. प्रासंगिक तथ्य पहले। याचिकाकर्ता कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है और 07.11.2002 को राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के अंतर्गत उसके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले (संख्या 23/1999) के कारण उसकी सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। हालाँकि, कोई विभागीय जाँच शुरू नहीं की गई।

बाद में 12.06.2009 को उसे बरी कर दिया गया। बरी किए जाने के विरुद्ध राज्य की अपील इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2009 द्वारा खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ता को 11.08.2009 को बहाल कर दिया गया। हालाँकि, 07.11.2002 से 11.08.2009 तक की निलंबन अवधि के लिए उसका वेतन रोक दिया गया। उसने निलंबन अवधि का नियमितीकरण करने और बकाया राशि के भुगतान का अनुरोध करते हुए कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इसके जवाब में, एक आदेश दिनांक 23.05.2011 जारी किया गया, जिसमें निलंबन अवधि का नियमितीकरण कर दिया गया, लेकिन जीवन निर्वाह भत्ते को छोड़कर, बकाया राशि का भुगतान करने से यह तर्क देते हुए इनकार कर दिया गया कि उसे संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया गया है। इसलिए, वर्तमान याचिका।

3. प्रतिवादियों का तर्क, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह है कि याचिकाकर्ता को संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया गया था। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 के तहत, याचिकाकर्ता परिणामी लाभों का हकदार है, हालाँकि, वह निर्वाह भत्ते के अलावा किसी अन्य लाभ का हकदार नहीं है, जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसलिए, याचिकाकर्ता के पास आदेश दिनांक 23.05.2011 की वैधता को चुनौती देने का कोई वैध आधार नहीं है।

4. उपर्युक्त दृष्टिकोण के मद्देनजर, प्रतिवादीगण ने यह कहते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है कि निर्वाह भत्ता की कटौती के उपरांत वेतन का लाभ रोकना उचित है क्योंकि याचिकाकर्ता को सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही में केवल संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया गया है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और मेरा यह मत है कि प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया नीरस रुख न्यायिक अनुमोदन के योग्य नहीं है, इसे केवल अस्वीकार करने के लिए ही उल्लेखित किया जा रहा है। कारण ढूँढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए देखें कैसे।

6. प्रारंभिक स्तर पर मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि एक बार जब सक्षम न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन कर लिया और पाया कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर्याप्त नहीं थी, जिससे अभियुक्त पर कोई आपराधिक दोष सिद्ध हो सके, तो केवल इसलिए कि अभियुक्त को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया है, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अन्यथा कोई साक्ष्य उपलब्ध था।

7. यह स्वाभाविक ही है कि जब अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो न्यायालय के पास साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कुछ ऐसी ही समान परिस्थितियों में मुझे **राजेंद्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या *15957/2021*** नामक मामले में निर्णय देने का अवसर मिला। इससे संबंधित अनुच्छेद 12 से 20 हैं, जिन्हें संक्षिप्तता के कारण पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

8. मेरे द्वारा इसी प्रकार का दृष्टिकोण **शंकर लाल बनाम राजस्थान राज्य** और अन्य एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 756/2022 में भी अपनाया गया था। ।

9. याचिकाकर्ता को, एक बार आपराधिक आरोपों से बरी कर दिए जाने के बाद और खासकर जब अपीलीय न्यायालय ने इस बरी के खिलाफ राज्य की अपील खारिज कर दी थी, तो उसे इसका लाभ दिया जाना चाहिए था, क्योंकि निलंबन का मूल कारण अब मान्य नहीं है। बकाया राशि देने से इनकार करने के लिए "संदेह के लाभ" पर आश्रय करना अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना है। बरी होना अपने आप में दोषसिद्धि स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूतों के अभाव को दर्शाता है।

10. इसके अलावा, नियम 54, उक्त स्थान पर, किसी कर्मचारी को बरी होने के बाद परिणामी लाभों का हकदार बनाता है। बकाया राशि से इनकार करना, याचिकाकर्ता को उसकी सही स्थिति में बहाल करने के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, मानो निलंबन हुआ ही न हो, सिवाय पहले से दिए गए निर्वाह भत्ते जैसे समायोजनों के। केवल "संदेह के लाभ" के आधार पर बरी होने का इस्तेमाल किसी कर्मचारी को उसके वैध वित्तीय अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। खासकर, इस तथ्य के मद्देनजर कि राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के तहत निलंबित होने के बावजूद, कोई विभागीय जाँच शुरू नहीं की गई। इस प्रकार, यह मामला ही नहीं है कि निलंबन अवधि के दौरान किसी भी कदाचार को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री मौजूद थी।

11. अन्यथा भी, समानता की बात करें तो, याचिकाकर्ता को बिना किसी सिद्ध गलत कार्य या किसी वित्तीय नुकसान के निलंबन का सामना करना पड़ा और उसे पेशेवर कठिनाई और निलंबन के कारण अपमान और बदनामी झेलनी पड़ी। समता यह अपेक्षा करती है कि जिस अवधि के लिए उसे अनुचितरूप से निलंबित किया गया था, उसके लिए उसे पूर्ण रूप से मुआवजा प्रदान किया जाए।

12. मेरी उपरोक्त राय के परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है।

13. परिणामस्वरूप, चुनौतीगत आदेश दिनांक 23.05.2011 को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के निलंबन काल की देय राशि की गणना संबंधित समय पर उसे देय स्वीकार्य वेतन के अनुसार करें। उक्त देय राशि उसे सेवा नियमों के अनुसार लागू ब्याज दर सहित देय होगी।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है

(अरुण मोंगा), जे

129-धनंजयएस/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate